भारत संघ

बनाम

बी. एम. झा.

24 अक्टूबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सेवा कानूनः

पूर्वव्यापी पदोन्नति-पदोन्नति की तारीख से वेतन और भत्तों के बकाया के लिए दावा-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमति दी गईःइस न्यायालय द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण की रोशनी में, काम नहीं करने और वेतन नहीं देने के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वेतन का बकाया नहीं दिया जा सकता है-परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है-काम नहीं करने और वेतन नहीं देने का सिद्धांत।

हरियाणा राज्य और अन्य. बनाम.डी. पी. गुप्ता और अन्य, [1996] 7 एस. सी. सी. 533; ए. के. सौमिनि बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जे. टी. (2003) 8 एस. सी. 35 और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के. वी. एल. नरसिम्हा राव और अन्य, जे. टी. (1999) 3 एस. सी. 205 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2001 की सिविल अपील सं. 5128।

2000 के सी. डब्ल्यू. सं. 2641 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 17.05.2000 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलार्थी के लिए बी. बी. सिंह, सुनीता शर्मा, डी. एस. माहरा और श्रीकांत एन. तेरदल।

प्रत्यर्थी के लिए अनिल कुमार झा और अलका झा।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश आदेश दिया गया था

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना गया।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील फैसले के खिलाफ निर्देशित है और दिल्ली उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ द्वारा पारित एक आदेश जिसमें विद्वत खंड पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ द्वारा पारित 11 जनवरी, 2000 के आदेश को बरकरार रखा। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है।

न्यायाधिकरण का विचार है कि चूंकि इसमें प्रतिवादी को 27.8.1984 से पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई है, इसलिए उसे 27 अगस्त, 1984 से 5 फरवरी, 1992 तक की अवधि के लिए उच्च पद के लिए वेतन और भत्तों का बकाया भुगतान किया जाना चाहिए।

11 जनवरी, 2000 के न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध व्यथित अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि करते हूए रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिव्क्ता को सुना है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्तता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि जब सामान्य रूप से किसी पदधारी को पूर्वव्यापी पदोन्नति दी जाती है तो वह उससे प्राप्त होने वाले सभी लाभों का हकदार होता है। तथापि, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम डी. पी. गुप्ता और अन्य, [1996] 7 एस. सी. सी. 533 और ए. के. सौमिनि बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर जे. टी. (2003) 8 एस. सी. 35 के मामले में यह विचार लिया गया है कि पूर्वव्यापी तिथि से एक काल्पनिक पदोन्नति के मामले में भी, यह कर्मचारी को वेतन के बकाया का हकदार नहीं बना सकता है क्योंकि पदधारी ने पदोन्नति के पद पर काम नहीं किया है। ये निर्णय काम नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत पर निर्भर थे।विद्वत खण्डपीठ ने विवादित निर्णय में आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के. वी. एल. नरसिम्हा राव और अन्य, (1999) 3 एस. सी. 205 के मामले पर निर्भरता रखी है।हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने उस मामले की विस्तार से जांच नहीं की।वास्तव में, उक्त निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा वेतन अनुदान के बारे में लिए गए दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था।इसलिए, हमारा विचार है कि उपर्युक्त

मामलों में इस न्यायालय द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण की रोशनी में, पूर्वव्यापी पदोन्नति के मामले में कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं के सिद्धांत को देखते हुए प्रतिवादी को वेतन का बकाया नहीं दिया जा सकता है।नतीजतन, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 17.5.2000 के उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के साथ-साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ द्वारा पारित दिनांक 11.1.2000 के आदेश को भी रद्द कर दिया।

अपील की अनुमति है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।